

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|--|-----------------------------|
| सं. 328] | दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2017/भाद्र 3, 1939 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 233 |
| No. 328] | DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2017/BHADRA 3, 1939 | [N.C.T.D. No. 233 |

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

x'g %i f'yl &II½ foHkx

vf/kl ipuk

दिल्ली, 25 अगस्त, 2017

l a Qk- 8@fo0@2012@x'g i f'yl &II@6985&96.—विष अधिनियम, 1919 (1919 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 12) की धारा 2 तथा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. l f{kIr 'kh"kd , oa i kj Hk %&

(क) इन नियमों को दिल्ली विष धारण एवं बिक्री नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(ख) ये संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।

(ग) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये लागू होंगे।

2. i fjHk"kk %& इन नियमों में, जब तक प्रसंग में अन्यथा न हो —

(क) "अधिनियम" का अर्थ है विष अधिनियम, 1919 (1919 का अधिनियम संख्या 12);

(ख) "डीलर" का अर्थ है व्यक्ति जिसने इन नियमों के तहत लाइसेंस लिया है;

(ग) "लाइसेंसिंग प्राधिकार" का अर्थ है पुलिस आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी;

(घ) "लाइसेंसधारी" का अर्थ है लाइसेंस धारक;

(ङ) "अधिसूचना" का अर्थ है सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(च) "फार्म" का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न फार्म;

(छ) "अनुसूची" का अर्थ है इन नियमों के अनुरूप संलग्न अनुसूची;

- (ज) "बिक्री" के अन्तर्गत एक लाइसेंसधारी को दूसरे को बिक्री या लाइसेंसधारी द्वारा किसी शिक्षा संस्थान या किसी अनुसंधान या चिकित्सा संस्थान या अस्पताल या डिस्पेंसरी या प्रयोगशाला या किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्थान या औद्योगिक यूनिट जिन्हें अपने उपयोग के लिए विष की आवश्यकता है या किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या किसी व्यक्ति को अपने प्रयोग के लिए मूल्य के बिना या मूल्य सहित डिलीवरी द्वारा अन्तरण।
3. अनुसूची 'क' एवं 'ख' में विनिर्दिष्ट विष इन नियमों के उद्देश्य के लिए विष माने जाएंगे।
4. Lokfero ; k fcQh ds fy, ykbl d % कोई व्यक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा फार्म "अ" में प्रदत्त या नवीनीकृत लाइसेंस के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट विष की बिक्री के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विष की बिक्री या स्वामित्व नहीं रख सकता है जब तक उसे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत छुट प्राप्त न हो।
5. ifjl j ea fu; ekadk in'ku% नियम 4 के अंतर्गत प्रदत्त लाइसेंस में विनिर्दिष्ट व्यापार के स्थल के प्रमुख स्थल पर हमेशा इन नियमों को प्रदर्शित किया जाएगा।
6. ykbl d inku djus ; k uohuhdj .k ds fy, vkonu%(1) लाइसेंस प्राप्त या लाइसेंस नवीनीकरण के लिए प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को फार्म "ब" में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लिखित में आवेदन करना होगा और आवेदन के साथ पांच सौ रुपये शुल्क के अदा करने होंगे। बशर्ते लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कोई भी आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तिथि से तीन माह के पूर्व किया गया हो (एक वर्ष की नवीनीकरण फीस)।
- (क) यदि आवेदन नियम (1) के अंतर्गत यथापेक्षित संलग्नको के साथ उपरोक्त विनिर्दिष्ट समय के अंदर अर्थात् तीन माह से अधिक समय/तिथि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त नहीं होता है, परन्तु लाइसेंस की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होता है, तो लाइसेंस को सामान्य देय शुल्क से दुगुनी राशि की शुल्क के भुगतान पर ही नवीनीकृत किया जाएगा (एक हजार रुपये);
- (ख) यदि तिथि की समाप्ति के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी को संलग्नको के साथ आवेदन प्राप्त होता है, परन्तु समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के बाद नहीं, लाइसेंस हेतु इस विषय में की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उसे सामान्य देय शुल्क से तीन गुना के भुगतान पर नवीनीकृत किया जाएगा (एक हजार पांच सौ रुपये)।
- (ग) यदि लाइसेंस समाप्ति की तिथि के तीस दिनों के बाद लाइसेंस प्राधिकारी को नवीनीकृत हेतु आवेदन प्राप्त होता है तो लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।
- (2) जब मूल लाइसेंस गुम हो जाए या नष्ट हो जाए तो लाइसेंस की दुसरी प्रति हेतु लिखित में आवेदन करना होगा और कोर्ट शुल्क के रूप में पांच सौ रुपये की स्टाम्प शुल्क देना होगा।
- (3) लाइसेंस के व्यापार स्थल में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लाइसेंस हेतु नया आवेदन देना होगा और ऐसे आवेदन के साथ पांच सौ रुपये कोर्ट स्टाम्प देना होगा।
- (4) व्यापार के स्थल पर लाइसेंस को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
7. ykbl d dh vof/k % नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त या नवीनीकृत लाइसेंस जारी करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए लागू रहेगा।
8. ykbl fl x i kf/kdkjh dk foxxkf/kdkj % लाइसेंस किसी भी समय रद्द या प्रतिसंहरण किया जा सकता है। लाइसेंस प्रदान/नवीनीकरण/रद्द/प्रतिसंहरण करना लाइसेंसिंग प्राधिकारी का विवेकाधिकार है;

बशर्ते कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने प्रस्तावित कार्रवाई हेतु संबंधित पार्टी को कारण बताओं नोटिस दिया हो और लाइसेंस रद्द या प्रतिसंहरण के लिए लाइसेंस प्रदान या नवीनीकरण हेतु मना करने का कारण लिखित में रिकार्ड हो।

9. **यकबल दल इक्लर द्युक %** लाइसेंस धारक की मृत्यु या व्यापार के स्थानान्तरण या फर्म या कंपनी के विघटन पर या व्यापार के समापन या स्थानान्तरण पर लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा;
- बशर्ते कि, यदि फर्म या कंपनी के ऐसे लाइसेंस धारक द्वारा व्यापार को स्थानांतरित किया जा रहा है और स्थानान्तरणकर्ता स्थानान्तरण की तिथि के चौदह दिनों के अंदर 100/-रुपये के स्टाम्प कोर्ट शुल्क के साथ नए लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो वर्तमान लाइसेंस तब तक निरंतर रहेगा जब तक कि स्थानान्तरणकर्ता को नया लाइसेंस न मिल जाए या स्थानान्तरणकर्ता के नए लाइसेंस के आवेदन को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो।
10. **यकबल दल दसलेकु इफ्रलग्ज.क ; क जहदज.क इज लवकुल दक फुिवकु%** नियम 8 के अन्तर्गत प्रतिसंहरण या रद्दीकरण की स्थिति में या नियम 9 के अंतर्गत लाइसेंस के समापन के संबंध में, विश का स्टॉक किसी अन्य लाइसेंस धारक को लाइसेंस के ऐसे समापन, प्रतिसंहरण या रद्दीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के अंदर बेचा जा सकता है इसके बाद शेष विष को लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेशों के अंतर्गत नष्ट किया जाए। नियम 9 के अनुसार यदि कोई बिक्री मृतक लाइसेंस धारक के प्रतिनिधि या उसके स्थानान्तरणकर्ता या फर्म या कंपनी के स्थानान्तरणकर्ता के विघटित फर्म या कंपनी के परिसमापक, जैसी भी स्थिति हो, को सौंपी जा सकती है, मामले के अनुसार।
11. **फोक रफक जफतलवजक दस फुजहक.क ध "कफडर %** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त कोई कार्यपालक मैजिस्ट्रेट या उप-निरीक्षक या उक्त रैंक का पुलिस अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या ड्रग्स एंड कार्मेटिक अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) की धारा 21 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक किसी भी समय लाइसेंस धारक के परिसर का निरीक्षण कर सकता है जहां बिक्री के लिए विष रखा गया है और वहां पाए गए सभी विष एवं रजिस्ट्रों का निरीक्षण कर सकता है।
12. **यकबल दल फदलसिंकु फदक तक, %** (1) लाइसेंस केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो 21 वर्ष से कम का न हो और जिसकी दिमागी हालत ठीक हो और लाइसेंसिंग प्राधिकारी के मतानुसार वह विष का व्यापार संचालित करने में सक्षम हो और विचाराधीन द्रव्य हेतु लाइसेंसधारी को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। लाइसेंसिंग प्राधिकारी अन्य बातों के अलावा निम्न पर भी विचार करेगा:—
- (क) गत पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी समय छह माह से अधिक की अवधि के लिए उपद्रव या नैतिक अधमता तथा सजा की दोष सिद्धी;
- (ख) गत पांच वर्षों के दौरान शान्ति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय—VIII के अन्तर्गत बांड का निष्पादन;
- (ग) गत पांच वर्षों के दौरान किसी समय इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदक के पुराने लाइसेंस का रद्दीकरण, तथा
- (घ) आवेदक के व्यवहार/पूर्ववृत्त के संबंध में स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट।
- (2) फर्म या कंपनी को जारी लाइसेंस हमेशा स्वामी के नाम या कंपनी के स्वामी या स्वामी द्वारा नामित जिम्मेदार व्यक्ति या सार्वजनिक कंपनी के मामले में इसके प्रबंधक के नाम पर लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- (3) फर्म या कंपनी से लिखित आवेदन पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दिए गए नाम या नामों में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है और ऐसे आवेदन के साथ एक सौ रुपये का कोर्ट शुल्क स्टाम्प देना होगा। ऐसे परिवर्तन/संशोधन के लिए फर्म या कंपनी को विनिर्दिष्ट कारणों का उल्लेख करना होगा।
13. **फोक ध फदल %** (1) विष की प्रत्येक बिक्री जहां तक व्यवहारिक हो, व्यक्तिगत रूप से लाइसेंस धारक द्वारा की जाएगी या जहां लाइसेंस धारक फर्म या कंपनी है, वहां यह कार्य ऐसे फर्म या कंपनी या प्रत्यायित प्रतिनिधि द्वारा पर्यवेक्षण के अंतर्गत किए जाएंगे।
- (2) इन नियमों के अंतर्गत प्रदान विष के कब्जा एवं बिक्री के लिए लाइसेंस धारक व्यक्ति लाइसेंस में उल्लिखित परिसर में भंडारण एवं बिक्री कर सकता है।
- (3) बेची जाने वाली एसिड की मात्रा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (4) बिक्री या बिक्री के लिए एसिड रखे जाने वाले नियमों के उल्लंघन पर विष अधिनियम, 1919 की धारा 4 (2) के अधीन उल्लिखित उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगी।
14. **0; फडरक फतलग फोक कपक तक इ द्रक ग्स %** लाइसेंस धारक किसी व्यक्ति को तभी विष बेच सकता है जब वह उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हो या फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर अपनी पहचान बताए या अपने पता के दस्तावेज देकर इसे पुरखा करे और उसे रिकार्ड के लिए रखा जाए। उसे कोई विष बेचने से पूर्व उसे खरीददार का नाम, टेलीफोन तथा पता भी सुनिश्चित करने होंगे तथा विष खरीद का उद्देश्य भी जानना होगा। अगर खरीददार उसे 18 वर्ष से कम आयु का लगे या अन्य कोई व्यक्ति जो उसे उचित न लगे को कोई विष नहीं बेचेगा।

15. fo"k dh fcØh dk jftLVj% (1) प्रत्येक लाइसेंस धारक एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें वे कैमिस्ट, ड्रगिस्ट या कंपाउंडर डिस्पेंसिंग या अर्हता प्राप्त चिकित्सक या पशुचिकित्सक की प्रिस्क्रिप्शन के अनुपालन में विष की सभी बिक्री की सही प्रविष्टियां करेगा। ऐसी बिक्री के लिए मुख्यतः ऐसे रजिस्ट्रों में निम्न विवरण की प्रविष्टियां की जाएंगी: (क) क्रम संख्या (ख) विष का नाम (ग) बेची गई मात्रा (घ) बिक्री की तिथि (ङ) खरीददार का नाम व पता, प्रस्तुत किए गए फोटो पहचान पत्र का क्रम संख्या तथा जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम (च) खरीददार द्वारा विष की खरीद हेतु उद्देश्य (छ) खरीददार के हस्ताक्षर (या अंगूठे का निशान, यदि अनपढ़ है) तो या डाक द्वारा खरीद के मामले में, तिथि जिस पर पत्र लिखा गया और फाइल में मूल का संदर्भ जिसमें इसे सुरक्षित रखा गया है (ज) खरीददार को पहचानने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, यदि कोई है (या अंगूठे का निशान, यदि अनपढ़ हो तो); तथा (झ) डीलर के हस्ताक्षर।
- (2) रजिस्टर के अलग हिस्से में वह प्रत्येक विष के लिए अलग कॉलम में रोजाना बेची गई प्रत्येक विष की प्रविष्टि करेगा और ये प्रविष्टियां दैनिक आधार पर भरी जाएंगी।
- (3) नियम 15 के उपनियम (1) के अंतर्गत लाइसेंस धारक स्वयं रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे या जब फर्म या कंपनी लाइसेंस धारक हैं तो ऐसे फर्म या कंपनी के प्रत्यायित प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और बिक्री का समय या खरीददार को प्रेषण का समय लिखा जाएगा। ऐसे हस्ताक्षर का अर्थ होगा कि हस्ताक्षरकर्ता नियम 14 की आवश्यकताओं के पूरा होने से संतुष्ट है।
- (4) उपरोक्त रजिस्टर के मद (छ) के अंतर्गत संदर्भित सभी पत्रों या लिखित आदेशों को बिक्री की तिथि से कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंस धारक द्वारा मूल रूप से सुरक्षित रखना होगा।
- (5) रजिस्टर में दैनिक स्टॉक शेष की भी प्रविष्टि की जाए।

16. fcØh ds fy, j [ks fo"k dk dCtk rFkk blga j [kus okys ik=k dh ycfy% किसी भी लाइसेंस धारक द्वारा इन नियमों के अंतर्गत बिक्री के लिए रखे सभी विषों को सुरक्षित रूप से बाक्स, अलमारी, कमरा या भवन (मात्रा के अनुसार) जिन्हें ताला चाबी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा और जिनमें अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त लाइसेंस के अनुसार विष के अलावा और कुछ न हो और प्रत्येक विष को सुरक्षित रूप से बाक्स, अलमारी, कमरा या भवन में अलग से कांच, मैटल या मिट्टी के बर्तन में रखा जाए। प्रत्येक ऐसे बाक्स, अलमारी, कमरा या भवन तथा प्रत्येक ऐसे पात्रों पर लाल अक्षरों से शब्द "विष" अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा से चिह्नित किया जाए और यदि पात्र में अलग-अलग विष हैं तो विष के नाम भी लिखे जाएं।

17. cps x, fo"k dks mfpr iækj l siæ dj ycy fd; k tk, जब कोई विष बेचा जाता है, तो उसे सुरक्षित रूप से पात्र या कंटेनर (मात्रा के अनुसार) में पैक किया जाए और प्रत्येक ऐसा पात्र या पैकेट लाइसेंस धारक द्वारा अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में लाल लेबल लगाया जाएगा जिसमें लाइसेंस धारक का नाम व पता तथा विष का नाम लिखा होगा। पात्रों पर निम्न यूनिवर्सल चेतावनी चिह्न भी प्रदर्शित किए जाएं।



18. i z kxdukkz %; fDrxr dks NkMdj % }kjk , fl M@{k; dkjh nð dh l j {kk} HkMkj u , oa nqk/uk i c/k u% विष (एसिड/क्षयकारी द्रव) की सुरक्षा, भंडारण तथा दुर्घटना प्रबंधन के लिए उठाए गए उपचारी कदम मानक परिचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) की उपरोक्त रूपरेखा अलग से अनुसूची "सी" में तैयार की गई है और इसे प्रयोगकर्ता के परिसर में सुगम स्थल पर प्रदर्शित किया जाए।

19. vihy dk iko/kku % (1) लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदान या नवीनीकरण या समापन या लाइसेंस को रद्द या लाइसेंस की शर्तों को बदलने के आदेशों के विरुद्ध अपील का अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है।

(2) उपनियम (1) से संबंधित प्रत्येक अपील अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए और ऐसे आदेशों के संचारण की तिथि के तीस दिनों के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(3) प्रत्येक अपील के साथ पांच सौ रुपए की न्यायालय शुल्क स्टॉप संलग्न करने होंगे।

20. fuji u , oa cpr% (1) दिल्ली विष नियम, 1926 तथा दिल्ली विष (संशोधन) नियम, 1973 एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरस्त होने पर भी —

(क) उक्त नियमों के अंतर्गत प्रदत्त या नवीनीकृत सभी लाइसेंस, परमिट या डुप्लीकेट तथा लगाई गई या वसूली गई सभी शुल्क मामले के अनुसार इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त, नवीनीकृत, लगाई या वसूली मानी जाएगी;

- (ख) किसी अधिसूचना या नियम के अन्तर्गत शक्तियों के अधीन दिए गए सभी अनुमोदन, अधिनियम तथा इन नियमों के प्रावधानों के साथ संगत रूप में अधिनियम या इन नियमों के अंतर्गत दिया हुआ या प्रदत्त माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ओ.पी. मिश्रा] अतिरिक्त सचिव (गृह)

vud ph bdb

fu; e 2 , oa 3 ns[kk

fo" k dh l ph %k; dkjh%

1. एसीटिक एसिड (वजन द्वारा 25 प्रतिशत से ज्यादा सान्द्रता)
2. एसीटिक एनहाइड्राइड
3. सल्फ्यूरिक एसिड (एच 2 एसओ 4) (वजन द्वारा 5 प्रतिशत से ज्यादा सान्द्रता)
4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एच सी एल) (वजन द्वारा 5 प्रतिशत से ज्यादा सान्द्रता)
5. फॉस्फोरिक एसिड (एच 3 पीओ 4)
6. हाइड्रोप्लोरिक एसिड (एचएफ)
7. फरक्लोरिक एसिड (एच सीआईओ 4)
8. फॉर्मिक एसिड (वजन द्वारा 10 प्रतिशत से ज्यादा सान्द्रता)
9. हाइड्रोसायनिक एसिड के वजन में 0.1 प्रतिशत से कम द्रव को छोड़कर हाइड्रोसायनिक एसिड।
10. हाइड्रोसायनिक एसिड के वजन में 5 प्रतिशत से कम द्रव को छोड़कर हाइड्रोसायनिक एसिड।
11. नाइट्रीक एसिड के वजन में 5 प्रतिशत से कम द्रव को छोड़कर नाइट्रीक एसिड।
12. ऑक्सएलिक एसिड।
13. मरकरी का फरक्लोराइड (परिशुद्ध क्षयकारी)
14. पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड के वजन में 2 प्रतिशत वजन से कम द्रव को छोड़कर पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड।
15. सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के वजन में 2 प्रतिशत वजन से कम द्रव को छोड़कर सोडियम हाइड्रोऑक्साइड।
16. हाइड्रोजन पेरोक्साइड (वजन द्वारा 50 प्रतिशत से ज्यादा सान्द्रता)
17. फारमलडिहाइड (वजन द्वारा 25 प्रतिशत से ज्यादा सान्द्रता)
18. फिनॉल (वजन द्वारा 3 प्रतिशत से ज्यादा सान्द्रता)
19. सोडियम हाइपोक्लोराइट सलूशन (वजन द्वारा 5 प्रतिशत से ज्यादा सान्द्रता)

vud ph ^[k**

fnYyh fo" k /kkj . k , oa fcØh fu; e 2015 ds varxr fo" k

fo" k dk uke

- (i) एकोनाइट
- (ii) नक्स वोमिका
- (iii) मरकरी का परक्लोराइड— क्षयकारी उप—लीमेट (दरचिकना)
- (iv) मरक्यूरस क्लोराइड— क्लोमल (एसकपूर)

- (v) पोटेश का साइनाइड
- (vi) स्ट्रामोनियम (धतूरे)
- (vii) व्हाइड आरसेनिक (संख्या- संख्या सफेद)
- (viii) पीला लाल या ब्राउन आरसेनिक (संख्या सुर्ख या मनसिल)
- (ix) ब्लैक आरसेनिक (काला संख्या या स्याह संख्या)
- (x) पाराफेनी लीनीडियामिन ।
- (xi) टेद्रा इथाइल लीड (इथाइल प्लूड) जैसाकि (xvi) में उपलब्ध है को छोड़कर ।
- (xii) रैट पर रफ ।
- (xiii) सोडियम साइनाइट ।
- (xiv) इनसेक्टीसाइड ।
 - (क) पैराथियान
 - (ख) टेद्राइथाइल फासफोरस
 - (ग) डैजल
- (xv) रॉडेनटीसाइड
 - (क) अल्फा नेपथनील-थियोरा
- (xvi) फंगीसाइड
 - (क) इथाक्सी इथल मरकरी क्लोराइड
 - (ख) इथल मरकरी फासफेट
 - (ग) मरकरी (एचजी) के वजन में वजन के 0.2 प्रतिशत के समतुल्य से कम द्रव को छोड़कर फिनाइल मरक्यूरिक एसिडेट एवं फिनाइल मरक्यूरिक क्लोराइड ।
 - (घ) इथल मरकरी क्लोराइड
 - (ङ) फिनाइल मरकरी यूरिया
- (xvii) पयूमीगेंट्स
 - (क) मिथाइल ब्रोमाइड
 - (ख) साइनाइड जैसे निम्नलिखित :-
 - (i) लिक्विड हाइड्रोसाइनिक एसिड
 - (ii) पोटेशियम साइनाइड
 - (iii) सोडियम साइनाइड
 - (iv) कैल्शियम साइनाइड
- (xviii) प्रीपरेशन
- (xix) सभी प्रीपरेशन में कोई या उपरोक्त विष होंगे
- (xx) क्लोरोडाइनाट्री बेनजेनश (डाइनाइट्रोक्लोर बेनजेन)
- (xxii) क्लोरो-ऑरथो टोल्यूडिना
- (xxi) डाइनाइट्रोबेनजेन (जैसे-मेटाडाइनाइट्रोबेनजेन)
- (xxiii) पेस्टीसाइड
 - (क) एनड्राइन
 - (ख) मेटासिसटॉक्स

- (ग) सिसटॉक्स
- (घ) थिमेट
- (ङ) जिंक फोसाइड
- (च) हेटप
- (छ) ड्यूजीनॉन
- (ज) डिलड्रिन
- (झ) हेप्टाचेलर

(xxiv) विविध :-

- (क) मिथाइल अल्कोहल
- (ख) द्रव आम तौर पर थिनर कहलाएगा जिसमें स्पीरिट तथा अन्य घुलनशील सामग्री जैसे शैलेक होगा, जिसमें घुलनशील सामग्री का प्रतिशत 30 से अधिक नहीं होगा।

vud ph 'x*

ekud ifjpkYu if0; k %u; e 18 ns[kk

विष (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) की सुरक्षा, भंडारन तथा दुर्घटना प्रबंधन के लिए उपायों की रूपरेखा मानक परिचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) तथा इसे प्रयोगकर्ता के परिसर में सगम स्थल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

- (1) विष की सुरक्षा (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ)
 - (क) परिसर में विष (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) के कब्जा तथा सुरक्षित रखरखाव के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
 - (ख) विष (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) के भंडारन का पर्यवेक्षण उस व्यक्ति के अंतर्गत होगा।
 - (ग) विष (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) के भंडारन के लिए ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डबल लॉक प्रणाली रखनी होगी।
 - (घ) विष (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) के प्रयोग हेतु एक रजिस्टर रखना होगा और प्रत्येक तिमाही में संबंधित के साथ एस0डी0एम0 को प्रस्तुत करना होगा।
 - (ङ) प्रयोगशाला प्रभारी/परिचर द्वारा प्रयुक्त/भंडार किए गए विष (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) स्थल की प्रयोगशालाओं/भंडार के स्थल को छात्रों/व्यक्तियों द्वारा छोड़कर जाते समय आवश्यक जांच की जानी चाहिए।
- (2) विष/रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थों का भंडारन;
 - (क) विष (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) का भंडारन प्लास्टिक या अन्य उपयुक्त कंटेनर में किया जाए।
 - (ख) सभी भंडारन कंटेनरों पर विष (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) की पहचान के लिए इन पर लेबल लगाए जाएं और सम्मिलित खतरा एवं बचाव के उपाय किए जाएं।
 - (ग) बेमेल विषों (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) का भंडारन एक साथ न किया जाए।
 - (घ) विष (रसायन/एसिड/क्षयकारी पदार्थ) की इन्वेट्री की जाए।
 - (ङ) जहां उपयुक्त हो बचाव हेतु दस्ताने, एप्रन, सेफ्टी ग्लास और फेस शील्ड पहने जाएं।
 - (च) एसिड को सावधानी से मिलाया जाए— हमेशा एसिड को पानी में मिलाएं, पानी को एसिड में कभी न मिलाएं।

(3) दुर्घटना प्रबंधन

(क) त्वचा से संपर्क: गंदे कपड़े, जूते तथा चमड़े का सामान (जैसे बॉच बैंड, बैल्ड) को तुरन्त उतार दें। अतिरिक्त रसायन को तुरन्त एवं अच्छी तरह सुखा ले या हटा दें। तुरन्त कम से कम 30 मिनट के लिए बहते गुनगुने पानी से धोएं। पानी का बहाव न रोकें। यदि यह सुरक्षित ढंग से किया जाता है तो इसे अस्पताल ले जाते समय भी जारी रखा जाए। तुरन्त विष केन्द्र या डॉक्टर से संपर्क करें। तुरन्त उपचार अपेक्षित है। अस्पताल जाए।

(ख) आँखों से संपर्क: सीधे संपर्क से बचें। यदि आवश्यक हो तो रसायन से बचाव के लिए दस्ताने पहनें। चेहरे से तुरन्त रसायन साफ करें। आँख को खुला रख कर तुरन्त कम से कम 30 मिनट तक बहते पानी में आँख को धोएं। यदि कान्टैक्ट लेंस पहने हैं तो धोने में विलंब न करें या लेंस को हटाने का प्रयास करें। जितनी जल्दी उपलब्ध हो सके न्यूट्रल स्लाइन स्लूशन प्रयोग किया जा सकता है। पानी का बहाव न रोकें। यदि आवश्यक हो तो अस्पताल जाते समय पलिंग जारी रखें।

(ग) इंजेक्शन: क्या पीड़ित ने पानी से मुंह धोया है। यदि सामान्य रूप से उल्टी आ रही है तो एसपीरेशन का जोखिम कम करने के लिए पीड़ित को आगे झुकाएं। क्या पीड़ित ने मुंह को फिर से पानी से धोया है। तुरन्त विष केन्द्र या डॉक्टर से संपर्क करें। तुरन्त उपचार अपेक्षित है। अस्पताल जाएं।

(घ) अन्तःश्वसन : बचाव कार्य करते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें (उदाहरण स्वरूप बचाव के उचित उपस्कर पहनें)। पीड़ित को खुली हवा में ले जाएं। श्वसन के लिए आराम दायक अवस्था में रखें। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो प्रशिक्षित व्यक्ति से आपात में आक्सीजन लें। फुफ्फुस एडिमा के लक्षण हो सकते हैं। तुरन्त विष केन्द्र या डॉक्टर से संपर्क करें। तुरन्त उपचार अपेक्षित है। अस्पताल ले जाएं।

(4) यथा संभव विष की प्रत्येक बिक्री व्यक्तिगत रूप से लाइसेंस धारक द्वारा की जाए या जहां लाइसेंस धारक फर्म या कंपनी है वहां ऐसे फर्म या कंपनी के प्रतिसंहारक प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण के अंतर्गत या माध्यम से की जाए।

(5) यदि लाइसेंस धारक पहले से व्यक्ति को नहीं पहचानता है या फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी पहचान से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक उसे वह विष नहीं बेच सकता है। यदि उसे लगता है कि व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है या उसे उससे संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे व्यक्ति को विषय की बिक्री नहीं करेगा।

(6) (1) प्रत्येक लाइसेंस धारक एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें वे कैमिस्ट तथा चिकित्सा या वैटनरी प्रैक्टिशनर की पर्ची के साथ अनुपालन स्वरूप डिस्पेंसिंग या कम्पाउंडिंग के लिए ड्रगिस्ट द्वारा प्रयुक्त के अलावा विष की सभी बिक्री के लिए मुख्यतः ऐसे रजिस्टर में निम्न विवरण के अनुसार प्रविष्टियां की जाएंगी:

(क) क्रम संख्या

(ख) बिक्री की तिथि

(ग) नाम, टेलीफोन नम्बर तथा खरीददार का पता

(घ) विष का नाम

(ङ) बेची गई मात्रा

(च) खरीददार ने किस उद्देश्य से विष खरीदा है।

(छ) खरीददार के हस्ताक्षर या अनपढ़ की स्थिति में अंगूठे का निशान या डाक द्वारा खरीद की स्थिति में पत्र की तिथि या लिखित आदेश तथा संदर्भ फाइल में सुरक्षित रखा जाए।

(ज) डीलर के हस्ताक्षर

(2) रजिस्टर के अलग हिस्से में बेची गई दैनिक विष तथा मात्रा की रोजाना प्रविष्टियां की जाएं।

(3) रजिस्टर के कॉलम (ज) के अंतर्गत लाइसेंस धारक स्वयं या जहां लाइसेंस धारक फर्म या कंपनी है तो ऐसे फर्म या कंपनी के प्रतिसंहारक प्रतिनिधि— हस्ताक्षर करेंगे और बिक्री या खरीददार को प्रेषण के समय प्रविष्टि करेंगे। ऐसे हस्ताक्षर यह प्रमाणित करेगा कि लिखने वाला नियम 15 की आवश्यकताओं के अनुरूप संतुष्ट है।

(4) रजिस्टर के कॉलम (छ) में संबंधित सभी पत्र या लिखित आदेश बिक्री की तिथि से कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिये लाइसेंस धारक द्वारा मूल रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे।

(7) (1) लाइसेंस धारक फार्म-II में प्रत्येक विष के लिए एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्न विवरण होंगे:-

(क) क्रम संख्या

(ख) तिथि

(ग) प्राप्त राशि तथा व्यक्ति का नाम एवं पता जिससे राशि प्राप्त की है।

(घ) व्यक्ति का नाम एवं पता जिससे प्राप्त किया है।

(ङ) राशि की बिक्री

(च) स्टॉक का शेष

(छ) टिप्पणियां

(2) स्टॉक रजिस्टर को रोजाना बैलेंस किया जाए।

(8) नियम 15 एवं 16 के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी या ड्रग्स कंट्रोल विभाग या ड्रग्स इंस्पेक्टर के रैंक से ऊपर या कोई चिकित्सा अधिकारी या सहायक चिकित्सा अधिकारी के रैंक से ऊपर का अधिकारी किसी भी समय सभी विष तथा रजिस्टर का निरीक्षण कर सकते हैं।

(9) इन नियमों के अंतर्गत किसी लाइसेंस धारक द्वारा बिक्री के लिए रखे सभी विष (चिकित्सा या वैटीनरी प्रैक्टरीशनर के पर्चे के साथ अनुपालन में डिस्पेंसिंग या कम्पाउंडिंग के उद्देश्य के लिए कैमिस्ट या ड्रगिस्ट द्वारा रखे के अलावा) बॉक्स, अलमारी, कमरा या भवन में रखे जाएंगे (मात्रा के अनुसार) जिन्हें सुरक्षित ताले चाबी में रखा जाएगा, अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त लाइसेंस के अनुरूप विष के अलावा कोई द्रव वहां नहीं रखा जाएगा और प्रत्येक विष को ऐसे बॉक्स, अलमारी, कमरा या भवन में अलग से बंद शीशे, प्लास्टिक, मेटल या मिट्टी के बर्तन में रखा जाएगा। प्रत्येक बॉक्स, अलमारी, कमरा या भवन तथा प्रत्येक ऐसे पात्र पर शब्द "विष" अंग्रेजी के लाल अक्षरों तथा स्थानीय भाषा में लिखा जाएगा और यदि किसी पात्र या बर्तन में अलग विष हैं तो ऐसे विष का नाम लिखा जाए।

(10) जब कोई विष बेचा जाए तो इन्हें सुरक्षित ढंग से किसी बर्तन या पैकेट (मात्रा के अनुसार) में पैक किया जाए और विक्रेता द्वारा ऐसे पात्र या पैकेट पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में विष का नाम लिखा जाए और नियम 18 में विनिर्दिष्ट बिक्री के रजिस्टर में नम्बर एवं प्रविष्टि की तिथि लिखी जाए।

(11) उपरोक्त उल्लिखित शर्तों तथा अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर किसी नियम तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।

(12) लाइसेंस धारक विष को चिकित्सा प्रयोग हेतु बेचना चाहता है या इच्छुक है तो उसे ड्रग्स एंड कास्मेटिक अधिनियम, 1940 की धारा 18 (सी) के अंतर्गत पहले अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

नोट:— दवा के प्रयोग के लिए विष का अर्थ है ड्रग्स एंड कास्मेटिक अधिनियम, 1940 की धारा 3 में परिभाषित ड्रग्स।

Oke! ^c**

Wu; e 6 nqk

fo"k ds dlt's , oa fcØh ds fy, ykbl d i klr djus@uohuhdj .k grq vkonu

1. आवेदक/फर्म का नाम:
2. आवेदक की आयु:
3. कार्यालय एवं आवास का पता:
4. लाइसेंस नम्बर एवं लाइसेंस की प्रति (नवीनीकरण आवेदन के लिए लागू)
5. प्राधिकृत प्रतिनिधि के नाम सहित आवेदक फर्म के गठन संबंधी दस्तावेज:
6. व्यापार के स्थल या दुकान या भंडार का पूरा पता जिसके लिए लाइसेंस का आवेदन किया गया है, मकान नम्बर तथा सड़क या गली के साथ फ्लैट की संख्या तथा भवन का नाम जहां यह स्थित है।
7. परिसर का कॉपी प्लान।
8. परिसर के कब्जे के अधिकार से संबंधित दस्तावेज।
9. बेचे जाने वाले प्रस्तावित विष का नाम:

(आवेदक को आवेदन के साथ स्वयं सत्यापित फोटो की तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी)

निर्धारित न्यायालय फीस के साथ प्रस्तुत करें।

QkeZ ^V**
 1/4u; e 4 ns[kk
 fo" k ds dlt's , oa fcØh ds fy, ykbl d

लाइसेंस धारक /
 प्राधिकृत प्रतिनिधि का
 फोटो

पंजीकरण संख्या
 लाइसेंस धारक का नाम
 दुकान का इलाका

श्री _____ सुपुत्र श्री _____ जो _____
 _____ के रूप में व्यापार _____ (इलाके का नाम), _____
 पुलिस स्टेशन के _____ जिला को एतद्वारा मुख्यतः निम्न विष को खुदरा बिक्री तथा कब्जा के लिए
 लाइसेंस प्रदान किया जाता है :-

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

यह लाइसेंस पृष्ठ के पीछे विनिर्दिष्ट शर्तों पर निर्भर है, इनमें से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा इसके अलावा विष अधिनियम, 1919 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त दंड वसूला जाएगा।

यह लाइसेंस प्रदत्त की गई तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। बशर्ते पूर्व में संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस धारक की मृत्यु के कारण समाप्त या रद्द न कर दिया गया हो।

लाइसेंस प्राधिकारी की मोहर एवं हस्ताक्षर

शर्तें

1. नियम 5 (1) तथा 8 के प्रावधानों के तहत, किसी भी दिन प्रदत्त या नवीनीकृत लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। प्रत्येक आवेदक लाइसेंस प्राप्त या नवीनीकरण करने हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लिखित आवेदन देगा और ऐसे आवेदन के साथ एक सौ रुपये की कोर्ट शुल्क स्टॉप देने होंगे।
2. लाइसेंस धारक की मृत्यु पर लाइसेंस समाप्त हो जाएगा या यदि यह फर्म या कंपनी को प्रदान किया गया है तो ऐसे फर्म या कंपनी के व्यापार स्थानान्तरण या कंपनी के वाइडिंग अप पर समाप्त समझा जाएगा।
3. पर्याप्त कारण होने पर लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस का प्रतिसंहार या रद्द कर सकता है।
4. निर्धारित एस ओ पी का व्यवसाय परिसर के प्रमुख स्थल पर प्रदर्शन व अनुसरण किया जाएगा।

(HOME-II DEPARTMENT)**NOTIFICATION**

Delhi, the 25th August, 2017

No. F 8/Misc/2012/HP-II/6985-96.—In exercise of the powers conferred by sections 2 and 8 of the Poisons Act, 1919 (Central Act No. 12 of 1919), the Lt. Governor of NCT of Delhi is hereby pleased to make the following rules, namely:-

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:**
 - (a) These rules may be called the Delhi Poisons Possession and Sale Rules, 2015.
 - (b) They shall extend to whole of the National Capital Territory of Delhi.
 - (c) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. **DEFINITIONS:** In these Rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Poisons Act, 1919(Act No 12 of 1919);
 - (b) “Dealer” means a person holding license under these rules;
 - (c) “Licensing authority” means the Commissioner of Police or any other officer authorized under sub-section (1) of any other officer authorized under sub-section (1) of Section 7 of the Act to grant a license;
 - (d) “Licensee” means a holder of a license.
 - (e) “Notification” means a notification published in the Official Gazette.
 - (f) “Form” means a form appended to these rules;
 - (g) “Schedule” means the Schedule appended to these rules;
 - (h) “Sale” includes transfer by way of delivery with or without consideration or sale by one licensee to another or by a licensee to any educational institution or to any research or medical institution or hospital or dispensary or laboratory or any recognized public institution or industrial unit requiring poisons for its own use or to Government Department or public sector undertakings or to an individual for personal use.
3. The poisons specified in the Schedule ‘A’ & ‘B’ shall be deemed to be poisons for the purpose of these rules.
4. **LICENSE FOR POSSESSION OR SALE:-** No person, unless exempted under the provisions of the Act shall sell or possess for sale any poison specified in the Schedule except under a license in “Form A” granted or renewed in that behalf by the licensing authority.
5. **EXHIBITION OF RULES ON THE PREMISES:-** A copy of these rules shall always be displayed in prominent position at the place of business specified in the license granted under rule 4.
6. **APPLICATION FOR GRANT OR RENEWAL OF LICENSE:**
 - (1) Every person desiring for the grant of license or renewal of a license shall make a written application to the licensing authority in Form B and such application shall bear a fee of rupees five hundred. Provided that any application for renewal of a license which is made more than three months prior to the date of the expiry of the license(as renewal fee for one year).
 - (a) In case the application, with accompaniments required under Rule (1), is not received within the time specified above i.e. more than three months prior to the date of the expiry, but is received before the expiry, license shall be renewed only on payment of a fee amounting to twice the fee ordinarily payable (Rupees one thousand);
 - (b) In case an application with accompaniments is received by the licensing authority after the date of expiry, but not later than 30 days from the date of expiry, the license may, without prejudice to any other action that may be taken in this regard, be renewed on payment of thrice the fee ordinarily payable (Rupees one thousand and five hundred) .
 - (c) No license shall be renewed if the application for renewal is received by the licensing authority after thirty days of the date of its expiry.

- (2) Applications for duplicate license, when the original is lost or destroyed shall be made in writing and shall bear a court fee stamp of five hundred rupees.
- (3) In the case of any change in the place of business of the licensee, a fresh application for license shall be made to the licensing authority and such application shall bear a court stamp of five hundred rupees.
- (4) The licensee shall prominently display the license in the place of business.

7. **DURATION OF LICENSE:** Subject to the provisions of rules 8 and 9, a license granted or under these renewed rules shall remain in force for five years from the date of issue.

8. **DISCRETION OF LICENSING AUTHORITY:** A license may be cancelled or revoked at any time. The grant/renewal/ cancellation / revocation of a license shall be at the discretion of the licensing authority.

Provided that the licensing authority shall give an opportunity to the party concerned to show cause, if any, against the action proposed to be taken and shall record in writing the reasons for refusing to grant or renew a license or for cancelling or revoking a license.

9. **TERMINATION OF LICENSE:** A license shall be terminated on the death of the license holder or on the transfer of his business or if granted to a firm or company, on the dissolution or winding up or the transfer of the business of such firm or company;

Provided that, if the business carried on by the licensee as such of the firm or company is transferred as a going concern and the transferee applies for a fresh license, with court fee stamp of hundred rupees, within fourteen days of the date of transfer, the subsisting license shall continue to be in force until a new license has been granted to the transferee or the application of transferee for fresh license is rejected by the licensing authority.

10. **DISPOSAL OF STOCK ON TERMINATION, REVOCATION OR CANCELLATION OF LICENSE:** In the event of revocation or cancellation under Rule 8 or in the event of the termination of license under Rule 9, the stock of poison may be sold to any other license holder within a period of three months from the date of such termination, revocation or cancellation of the license, after which the remaining poison may be destroyed under the orders of licensing authority. In the case referred to in Rule 9, the proceeds of the sale, if any, shall be made over to the legal representative of the deceased license holder or his transferee or, liquidator of the dissolved firm or company of the transferee of the firm or company, as the case may be.

11. **POWER TO INSPECT POISONS AND REGISTERS:** Any Executive Magistrate or a Police Officer of the rank of Sub-Inspector and above or a Medical officer appointed by the Government of NCT of Delhi or an Inspector appointed under Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act 23 of 1940) may at any time visit and inspect the premises of the license holder where any poison is kept for sale and may inspect all poisons found therein and the registers.

12. **LICENSE TO WHOM GRANTED:**

(1) A license shall be granted only to a person not below the age of 21 years and not of unsound mind, and who in the opinion of the licensing authority is competent to conduct business in poisons and necessary training should be provided to the licensee to deal with the substance in question. The licensing authority, besides other things, will consider:-

- (a) Conviction in any offence involving violence or moral turpitude and sentenced for a term of more than six months at any time during a period of last five years;
- (b) Execution of a bond under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for keeping peace or for good behavior during last five years;
- (c) Cancellation of an earlier license of the applicant, under this Act any time during last five years and
- (d) Report of local police regarding character/antecedents of the applicant.

(2) The license issued to a firm or company shall always be in the name of the Proprietor or Proprietors of the company or a responsible person to be nominated by such proprietor or proprietors for the purpose, or in the case of a public company, in the name of its manager.

(3) The name or names so given may be altered or amended by the Licensing Authority on a written application from the firm or company and such application shall bear a court fee stamp of one hundred rupees. The firm or the company specifies the specific reasons in the application for such alteration/amendment.

13. **SALE OF POISON:**

(1) Every sale of poison, shall, as far as practicable, be made by the license-holder in person or where the license-holder is a firm or a company, through or under supervision of, an accredited representative or such firm or company.

(2) A person holding license for possession and sale of poisons granted under these rules shall store and sell from the premises specified in the license.

(3) The quantity of acid to be sold shall be determined by notification issued from time to time.

(4) The contravention of any rule regarding sale or possession for sale shall be punishable in terms of provisions laid down under Section 4 (2) of the Poisons Act, 1919.

14. **PERSONS TO WHOM POISONS MAY BE SOLD:** A license holder shall not sell any poison to any person, unless the latter is personally known to him, or identified to his satisfaction by producing a photo identity card which has his address or substantiate it with a document giving his address and the same shall be retained for record. He shall also ascertain before selling any poison, the name, telephone and address of the purchaser and the purpose for which the poison is purchased. He shall not sell any poison to any person who appears to him to be under the age of 18 years, or to any person who does not appear to him to be in full possession of his faculties.

15. **REGISTER OF SALES OF POISONS:** (1) Every license holder shall maintain a register in which he shall enter correctly all sales of poison other than those used by a Chemist, Druggist or Compounder dispensing or compounding in compliance with the prescription of a qualified medical or veterinary practitioner. The following details shall be entered in such register in respect of such sale, namely: (a) Serial No.; (b) Name of poison (c) Quantity Sold, (D) Date of sale (e) Name and address of the purchaser, Serial number of the Photo-identity card produced and the name of the issuing authority (f) Purposes for which the poison was stated by the purchaser to be required, (g) Signature of purchaser (or thumb impression, if illiterate), or in the case of purchase by post date on which the letter was written and reference to the original in the file in which it is preserved, (h) Signature of a person identifying the purchaser if any (or thumb impression, if illiterate); and (i) Signature of Dealer.

(2) In a separate portion of the register he shall enter in separate columns for each poison, the quantity of each poison sold daily, and those entries shall be filled up from day to day.

(3) The signature in the register prescribed under sub rule (1) of Rule 15 shall be that of the license-holder himself, or when the license holder is a firm or company, that of an accredited representative of such firm or company and shall be written at the time of sale or dispatch to the purchaser. Such signature shall be held to imply that the signatory had satisfied himself that the requirements of rule 14 have been fulfilled.

(4) All letters or written orders referred to under item (g) of the above register shall be preserved in original by the license holder for a period not less than two years from the date of the sale.

(5) The daily balance of stock should be entered in the register.

16. **CUSTODY OF POISONS KEPT FOR SALE AND LABELLING OF RECEPTACLES IN WHICH THEY ARE KEPT:** All poisons kept for sale under these Rules by any license holder shall be kept securely in a box, almirah, room or building (according to the quantity maintained) which shall be secured by lock and key and in which no substance shall be placed other than poisons possessed in accordance with a license granted under the Act, and each poison shall be kept securely within such box, almirah, room or building in a separate closed receptacle of glass, metal or earthenware. Every such box, almirah, room or building and every such receptacle shall be marked with the word "POISON" in red letters, both in English and in the local language and in the case if receptacles containing separate poison, with name of such poison.

17. **POISONS SOLD TO BE SECURELY PACKED AND LABELLED:** When any poison is sold, it shall be securely packed in a closed receptacle or container (according to the quantity), and every such receptacle or packet shall be labeled by the licensee with a red label bearing in English and in local language giving the name of the poison and the name and address of the licensee. The following universal warning symbols shall also be displayed on the receptacle.



18. SECURITY, STORAGE & INCIDENT MANAGEMENT OF ACIDS/CORROSIVE SUBSTANCES BY USERS (EXCEPT INDIVIDUALS)

A standard operating procedure (SOP) outlining the measures undertaken for security, storage and incident management of poisons (acids/corrosive) substances as outlined above has been prepared separately at schedule C and it should be displayed prominently in the premises of the user.

19. PROVISION FOR APPEAL:- (1) An appeal against an order of the licensing authority refusing to grant or renew a license or suspending or revoking a license or varying the condition of a license shall lie with the Lt. Governor of NCT of Delhi.

(2) Every appeal referred to in sub-rule (1) shall be preferred in accordance with the provisions of the Act and shall be presented within thirty days of the date of communication of such order.

(3) Every appeal shall be accompanied by a court fee stamp of five hundred rupees.

20 Repeal and Savings:- (1) The Delhi Poison Rules, 1926 and the Delhi Poison (Amended) Rules, 1973 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal—

(a) all licenses, permits or duplicates thereof granted or renewed under the said Rules and all fee imposed or levied shall be deemed to have been granted, renewed, imposed or levied, as the case may be, under the corresponding provisions of these Rules;

(b) all approvals given and all powers conferred by or under any notification or Rule shall, so far as they are consistent with the provisions of the Act and these rules, be deemed to have been given or conferred by under the Act or these rules.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

O. P. MISHRA, Addl. Secy.(Home)

The Schedule 'A'

(See Rule 2 and 3)

List of Poisons(Corrosives)

1. Acetic acid (beyond 25% concentration by weight)
2. Acetic Anhydride
3. Sulphuric acid(H₂SO₄)(beyond 5% concentration by weight)
4. Hydrochloric acid (HCl)(beyond 5% concentration by weight)
5. Phosphoric acid (H₃PO₄)
6. Hydrofluoric acid (HF)
7. Perchloric acid (HClO₄)
8. Formic acid (beyond 10% concentration by weight)
9. Hydrocyanic acid except substances containing less than 0.1per cent weight in weight of hydrocyanic acid.
10. Hydrochloric acid, except substances containing less than 5 per cent weight in weight of Hydrochloric Acid.
11. Nitric acid, except substances containing less than 5 per cent weight in weight of Nitric Acid.
12. Oxalic Acid
13. Perchloride of mercury (corrosive sublimate)
14. Potassium Hydroxide except substances containing less than 2 per cent weight in weight of Potassium Hydroxide.
15. Sodium Hydroxide except substances containing less than 2 per cent weight in weight of Sodium Hydroxide.
16. Hydrogen peroxide (beyond 50% concentration by weight)
17. Formaldehyde (beyond 25% concentration by weight)
18. Phenol (beyond 3% concentration by weight)
19. Sodium Hypochlorite Solution (beyond 5% concentration by weight)

THE SCHEDULE 'B'**POISONS UNDER THE DELHI POISONS Possession and sale RULES, 2015****NAME OF THE POISON:-**

- (i) Aconite
- (ii) Nux Vomica
- (iii) Perchyloride of Mercury-Corrosive Sub-Limate (Darchikna)
- (iv) Mercurous Chloride-Calomel(Ruskapur)
- (v) Cyanide of Potash.
- (vi) Stramonium (Dhature).
- (vii) White Arsenic (Sankhiyua-Sankhiya Safaid).
- (viii) Yellow Red or brown arsenic (Sankhiya surkh or Mansil).
- (ix) Black arsenic (Kala Sankhiya or Sabkhiya Siyah)
- (x) Parapheny lenediamin.
- (xi) Tetra ethyle lead (ethyl fluid) except as provided in XVI.
- (xii) Rough on Rats.
- (xiii) Sodium Cyanide.
- (xiv) Insecticides
 - (a) Parathion
 - (b) Tetraethyl Pyrophosphate
 - (c) Diazol.
- (xv) Rodenticides
 - (a) Alpha naphthyle-Thiourea
- (xvi) Fungicides
 - (a) Ethoxy Ethyl Mercury Chloride.
 - (b) Ethyl Mercury Phosphate.
 - (c) Phenyl Mercuric Acetate and Phenyl mercuric Chloride excepting substances containing less than the equivalent of 0.2 percent, weight in weight of Mercury (Hg.)
 - (d) Ethyl Mercury Chloride
 - (e) Phenyl Mercury Urea
- (xvii) Fumigents
 - (a) Methyl Bromide
 - (b) Cyanide Viz., the followings :-
 - i. Liquid, Hydrocyanic Acid.
 - ii. Potassium Cyanide
 - iii. Sodium Cyanide.
 - iv. Calcium Cyanide,
- (xviii) Preparations.
- (xix) All preparations containing any or the aforesaid poisons.
- (xx) Chlorodinitre Benzenes (Dinitrechlore Benzene)
- (xxi) Dinitrobenzene (e.g Metadionitrobenxene)
- (xxii) Choloro-Orthqe Toluidina

- (xxiii) Pesticides
 - (a) Endrine
 - (b) Metasystox
 - (c) Systox
 - (d) Thimet
 - (e) Zinc Phoshide
 - (f) Hetp
 - (g) Diuzinon
 - (h) Dieldrin
 - (i) Heptaachler
- (xxiv) Miscellaneous :-
 - (a) Methyl Alcohol
 - (b) The substance commonly known as thinner containing spirit and other soluble material such as shellac in which the percentage of such soluble material does not exceed 30.

Schedule "C"

Standard Operating Procedure(See Rule 18)

A standard operating procedure (SOP) outlining the measures undertaken for security, storage and incident management of poisons (chemicals/acids/corrosive substances) and it should be displayed prominently in the premises of the user.

- (1) Security of poisons (chemicals/acids/corrosive substances).
 - (a) A person shall be made accountable for possession and safe keeping of poisons (chemicals / acids/ corrosivesubstances) in th premises.
 - (b) The storage of poisons (chemicals/acids/corrosive substances) shall be under the supervision of this person.
 - (c) The storage of poisons (chemicals/acids/corrosive substances) shall be under double lock system to ensure more security.
 - (d) A register of usage of poisons(chemicals/acids/corrosive substances) shall be maintained and the same shall be filed withthe concerned SDM every quarter.
 - (e) There shall be compulsory checking of the students/personnel leaving the laboratories/place of storage where poisons (chemicals/acids/corrosive substances) is used/stored by the lab in-charge/attendant.
- (2) Storage of poison/chemical/acids/corrosives substances;
 - (a) The Poisons (chemicals/acids/corrosives substances) should be stored in plastic or other suitable containers.
 - (b) All storage containers should be labelled to indicate the identity of the poisons (chemicals/acids/corrosives substances) and the hazards involved and the precautions to be taken.
 - (c) Incompatible poisons (chemicals/acids/corrosives substances) should not be stored together.
 - (d) The inventory of poisons(chemicals/acids/corrosives/substances) should be kept to a minimum.
 - (e) Protective gloves, aprons, safety glasses and face shields should be worn where appropriate.
 - (f) Acids should be diluted with care- always add acid to water, never add water to acid.
- (3) INCIDENT MANAGEMENT
 - (a) Skin contact: Quickly take off contaminated clothing, shoes and leather goods(e.g. watchbands, belts). Quickly and gently blot or brush away excess chemical. Immediately flush with lukewarm, gently flowing water for at least 30 minutes. DO NOT INTERRUPT FLUSHING. If it can be done safely, continue flushing during transport to hospital. Immediately call a Poison Centre or doctor. Treatment is urgently required. Transport to a hospital.

- (b) Eye Contact: Avoid direct contact. Wear chemical protective gloves if necessary. Quickly and gently blot or brush chemical off the face. Immediately flush the contaminated eye(s) with lukewarm, gently flowing water for at least 30 minutes while holding the eyelid(s) open. If a contact lens is present, DO NOT delay flushing or attempt to remove the lens. Neutral saline solution may be used as soon as it is available. DO NOT INTERRUPT FLUSHING. If necessary, continue flushing during transport to hospital.
 - (c) Ingestion: Have victim rinse mouth with water. If vomiting occurs naturally have victim lean forward to reduce risk of aspiration. Have victim rinse mouth with water again. Immediately call a Poison Centre or doctor. Treatment is urgently required. Transport to a hospital.
 - (d) Inhalation: Take precautions to ensure your own safety attempting rescue (e.g. wear appropriate protective equipment). Move victim to fresh air. Keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing is difficult, trained personnel should administer emergency oxygen. DO NOT allow victim to move about unnecessarily. Symptoms of pulmonary edema may be delayed. Immediately call a Poison Centre or doctor. Treatment is urgently required. Transport to a hospital.
4. Every sale of poison shall so far as possible be conducted by the License-holder in person or where the license-holder is a Firm or a Company, through or under the supervision of an accredited representative of such firm or company.
5. A License-holder shall not sell any poison to any person unless the later is personally known to him or identified to his satisfaction by producing photo identity card. He shall not sell any poison to any person who appears to him to be under the age of 18 or to any person who does not appear to him to be in full possession of his faculties.
6. (1) Every license-holder shall maintain a register in which he shall enter all sales of poison other than those used by a chemist and druggist for dispensing or compounding in compliance with the prescription of a medical or veterinary practitioner. The following particulars shall be entered in such register in respect of each sale, namely:
- a) Serial No.
 - b) Date of sale
 - c) Name, telephone number and address of the purchaser
 - d) Name of the poison
 - e) Quantity sold
 - f) Purpose for which the poison was stated by the purchaser to be required.
 - g) Signature of the purchaser or thumb impression if illiterate or in case of purchase by post, date of letter or written order and reference to the origins in the file in which is preserved.
 - h) Signature of dealer.
- (2) In a separate portion of the register shall be entered, in separate column for each, poison and quantity of each such poison sold daily and these entries shall be filed in from day to day.
- (3) The signature under column(h) of the register shall be that of the License-holder himself or when the license-holder is a Firm or company that of an accredited representative or such firm or company and shall be entered at the time of sale or dispatch to the purchaser. Such signature shall be held to imply that the writer has satisfied myself that the requirements of rule 15 have been fulfilled.
- (4) All letters or written orders referred in column (g) of the register shall be preserved in original by the license-holder for a period of not less than two years from the date of sale.
- 7 (1) A license-holder shall maintain in respect of each poison a stock register, in form II which shall contain the following particulars:
- a) Serial No.
 - b) Date
 - c) Amount received name and address of person from whom received.
 - d) Name and address of person from whom received.
 - e) Amount sold
 - f) Balance in stock
 - g) Remarks
- (2) The stock register shall be balanced daily.

8. Any Magistrate or any Officer or Drugs Control Department of or above the rank of Drugs Inspector or police officer of or above the rank of Sub-Inspector or any medical officer of or above the rank of Assistant Medical Officer may at any time visit and inspect all poisons found there and the register maintained under Rule 15 and 16.

9. All poisons kept for sale by any license-holder under these rules(except those kept by a chemist and druggist for the purpose of dispensing or compounding in compliance with the prescription of a medical or veterinary practitioner) shall be kept in a box, almirah, room or building(according to the quantity maintained) which shall be secured by lock and key and in which no substance shall be placed other than poisons possessed in accordance with a license granted under the Act and each poison shall be kept within such box, almirah, room or building in a separate closed receptacle of glass, plastic, metal, or earthen-ware. Every such box, almirah room or building and every such receptacle shall be marked with the word "Poison" in red characters in English and local language and in the case or receptacles containing separate poisons with the name of such poisons.

10. When any poison is sold, it shall be securely packed in closed receptacle or packet (according to the quantity) and every such receptacle or packet shall be relabelled by the vender with a label bearing the name of the poison in English and local language and the number and date of the entry in the register of sales specified in rule 18.

11. The license shall be held subject to the conditions mentioned above and to the provisions of the Act and any rules from time to time made under the Act.

12. The licensee, if he/she intends to sell or possess for sale any poison for medicine use will first obtain a requisite license as required under section 18(c) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

Note:- A poison for medicine use means a drug as defined in Section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

FORM B

(See rule 6)

Application for Grant/Renewal of License for possession and sale of Poisons¹

1. Name of the Applicant/firm:
2. Age of the Applicant:
3. Office and Residence Address:
4. License No. and copy of License:(Applicable for renewal applications)
5. Documents regarding constitution of the applicant firm including nomination of the authorized representative:
6. Full address of the place of business or shop or of storage for which a license is applied for, number of flats and the name of the building with house number and the street or the road where it is situated.
7. Copy plan of the premises.
8. Documents pertaining to the right of possession of the Premises.
9. Name of the poison proposed to be sold:
(Applicant should furnish three copies of self attested photographs along with the application).

¹To be accompanied with prescribed court fee.

FORM A

(See rule 4)

License for possession and sale of poisons

Photograph of
License holder/
authorized
representative

Register No.

Name of Licensee

Locality of Shop

Shri _____ son of Shri _____

Carrying on business as _____ in the _____

(name of Local body) under _____ Police Station, of

_____ District, is hereby licensed to possess for sale by retail and to sell by retail the following poisons namely:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

This license is subject to the conditions specified on reverse, the breach of any of which shall involve forfeiture of the license as well as liability to the penalties provided by Section 6 of the Poisons Act, 1919.

This license will remain in force from the date of grant for a period of five years unless previously terminated by the death of the license holder or cancelled by the Licensing Authority concerned.

Seal and Signature of Licensing Authority

CONDITIONS

1. Subject to the provisions of rule 5(1) and 8, a license granted or renewed on any day shall remain in force for a period of five years. Every applicant for the grant or renewal of a license shall make a written application to the Licensing Authority and such application shall bear a Court fee stamp of hundred rupees.
2. A license shall terminate on the death of the license-holder or if granted to a firm or company on the winding up or transfer of the business of such firm or company.
3. The Licensing Authority may for any sufficient cause revoke or cancel any license.
4. The prescribed SOP should be displayed at a prominent place in the business premises and followed.

**RAKESH
SUKUL**

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2017.09.07 18:37:49
+05'30'